राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 478/2024
बृजमोहन सिहाग

–अपीलार्थी

बनाम

शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 29.02.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में खनिजकार्यदेशक द्वितीय के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी ने इस अपील में आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण खनि. कार्यदेशक–।। स.ख.अ. (सर्तकता) झुंझुनू से कार्यालय ख.अ. धोलपुर किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी ने अवैध खनन की शिकायत मिलने पर कार्यवाही की। इस कारण से अवैध खनन माफिया नाराज हो गये और उनके द्वारा राजनेताओं से मिलकर अपीलार्थी पर झूठे आरोप लगाए, जिस कारण से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। उनका यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजनीतिक दखल के कारण किया गया है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी संख्या–4 जो पूर्व में विधायक थे, उनके कहने पर अपीलार्थी का स्थानान्तरण हुआ हैं। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा जाना बताया है, जिसकी प्रति अनुलग्नक–4 होना बताया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी का राजनीतिक आधार पर स्थानान्तरण किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी ने अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2011 WLC (Raj) UC 195 नरेश कुमार बनाम राजस्थान राज्य जरिये एवं न्यायिक दृष्टांत WLC (Raj) UC 721 गिरिराज शर्मा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य प्रस्तुत किया है, जिसमें यह माना गया है कि राजनीतिक संगठकों के दखल के कारण स्थानान्तरण किया जाना उचित नहीं है।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

4. अपीलार्थी वर्तमान स्थान पर 2018 से कार्यरत है। ऐसे में वर्तमान स्थान पर समुचित समय (6 वर्ष) पदस्थापित रखने के पश्चात अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। ऐसा कोई तथ्य हमारे सामने प्रकट नहीं हुआ है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण किये जाने में कोई दुर्भावना रही हो। प्रत्यर्थी संख्या–4 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा जाना अवश्यक कहा है, परन्तु यह प्रकट नहीं हुआ है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजनैतिक दखल के कारण किया गया हो और उसमें कोई प्रशासनिक आधार नहीं रहा हो। आलोच्य आदेश में अपीलार्थी का स्थानान्तरण राज्यहित में प्रशासनिक आधार पर किया जाना अंकित है। अपीलार्थी के स्थानान्तरण में हम कोई दुर्भावना होना नहीं पाते हैं।

5. प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer Order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer Orders are made in violation of any mandatory statutory Rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer Orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights. Even if a transfer Order is passed in violation of executive instructions or Orders, the Courts ordinarily should not interfere with the Order instead affected party should approach the higher authorities in the Department. If the Courts continue to interfere with day-to-day transfer Orders issued by the Government and its subordinate authorities, there will be complete chaos in the Administration which would not be conducive to public interest."*

6. उपरोक्त समस्त विवेचना के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन होने से कारण इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)